

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक - वि० प्रा० (I) स्था०-38/2014-

पटना, दिनांक -

**आदेश**

विभागीय आदेश ज्ञापांक-2017 दिनांक-29.07.2013, ज्ञापांक-2018 दिनांक-29.07.2013, ज्ञापांक-1889 दिनांक-04.08.2014 एवं ज्ञापांक-3063 दिनांक-31.12.2015 द्वारा क्रमशः राज्य के विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थानों एवं अभियंत्रण महाविद्यालयों में समूह 'ग' के विभिन्न पदों पर सविदा नियोजन की कुल तीन वर्षों की अवधि दिनांक-30.06.2016 को समाप्त हो चुकी है।

2. विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर कार्यरत 289 (दो सौ नवासी) गैर-शैक्षणिक कर्मियों (तकनीकी सहायकों, अनुदेशकों एवं अन्य) को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने अथवा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, तक के लिए पुनर्नियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. मंत्रिपरिषद की उक्त स्वीकृति के आलोक में सविदा पुनर्नियोजित कर्मियों की सविदा अवधि आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष तक के लिए एकरारनामा हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। पुनर्नियोजन संबंधी एकरारनामा पुनः संपादित करना होगा और यह एकरारनामा की तिथि से नया पुनर्नियोजन माना जायेगा। इस सविदा पर पुनर्नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा। यह विशेष परिस्थिति में लिया गया निर्णय होगा और इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

4. यह स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित प्राचार्य अपने संस्थान के सविदा-धारकों के परफोरमेन्स/कार्यकलापों से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही पूर्ववर्ती शर्तानुसार एकरारनामा सम्पादित करेंगे। जिन कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति जिन संस्थानों में है, वैसे कर्मचारी उसी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे।

5. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

निदेशक,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) स्था०-38/2014-

2709

पटना, दिनांक -

27-10-2016

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों/सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों/विभाग के सभी पदाधिकारियों/सहायकों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



27-10-16  
निदेशक,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

बिहार, पटना।